तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कासम V/s जगाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/7/25	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/8/25 को पेश हो।	
12/8/25	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हो।	
24/9/25	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य मे स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/10/25 को पेश हो	
08/10/25	बुलाय फरीकैन उप0। वकील उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (डीग) राज०	

कासम बनाम जगराम वगै.

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 20/2023 **तारीख दायरा:–02.06.2023**

कासम पुत्र सद्दीक जाति मेव निवासी ग्राम मूँडिया तहसील नगर जिला डीग।

------वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र लक्ष्मन
2. रामकिशोर पुत्र लक्ष्मन
   जातियान गुर्जर निवासी ग्राम मूँडिया तहसील नगर जिला डीग।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब/उपपंजीयक नगर तहसील नगर जिला डीग।

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री मुबीन खान वादी।
2. अधिवक्ता श्री ललित अवस्थी प्रतिवादी संख्या 01, 02

निर्णय दिनांक:–08.10.2025

वादी द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद बाबत विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 602/0.28 वाके ग्राम मूडिया तहसील नगर मे स्थित है। जिसका वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन कर पृथक–पृथक खाता एंव पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री ललित अवस्थी ने जवाब दावा पेश किया तथा दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमती जाहिर की।

बहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 24.02.2025 को दावा वादी प्राथमिक डिकी जारी जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर न्यायालय मे पेश करने बाबत आदेश प्रदान किये गए।

तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./25/1568 दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 602/1/0.1535 किता 01 रकबा 0.1535 है0 कासम पुत्र सद्दीक जाति मेव हिस्सा पूर्ण सा. मुडिया खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 602/2/0.1265 किता 01 रकबा 0.1265 है0 जगराम, रामकिशोर पि. लक्ष्मन जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. मुडिया खातेदार। रहन हिस्सा जगराम ठत्झ्ळठ शाखा नगर।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श कुछ इस प्रकार से है।

कासम बनाम जगराम वगै.

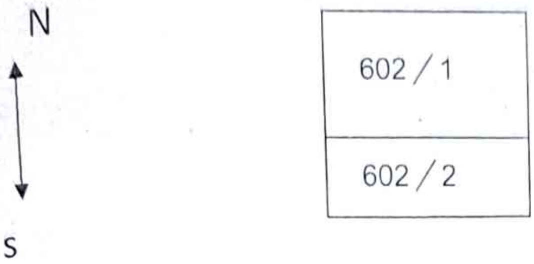

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील उभयपक्षकारान ने तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को सही होना स्वीकार तथा दावा वादी अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.05.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादी अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14. 05.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 602/0.28 बाके ग्राम मूडिया तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 602/1/0.1535 किता 01 रकबा 0.1535 है0 कासम पुत्र सद्दीक जाति मेव हिस्सा पूर्ण सा. मुडिया खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 602/2/0.1265 किता 01 रकबा 0.1265 है0 जगराम, रामकिशोर पि. लक्ष्मन जाति गुर्जर बहिस्सा बराबर सा. मुडिया खातेदार। रहन हिस्सा पूर्ण जगराम BRKGB शाखा नगर।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

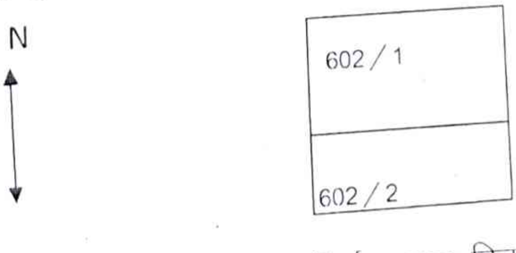

इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

कासम बनाम जगराम वगै.
अन्तिम डिकी व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 20/2023 तारीख दायरा:–02.06.2023

कासम पुत्र सद्दीक जाति मेव निवासी ग्राम मूँडिया तहसील नगर जिला डीग।

––––––वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र लक्ष्मन
2. रामकिशोर पुत्र लक्ष्मन
   जातियान गुर्जर निवासी ग्राम मूँडिया तहसील नगर जिला डीग।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब/उपपंजीयक नगर तहसील नगर जिला डीग।

–––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री मुबीन खान अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री ललित अवस्थी अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 602/0.28 वाके ग्राम मूडिया तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 602/1/0.1535 किता 01 रकबा 0.1535 है0 कासम पुत्र सद्दीक जाति मेव हिस्सा पूर्ण सा. मुडिया खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 602/2/0.1265 किता 01 रकबा 0.1265 है0 जगराम, रामकिशोर पि. लक्ष्मन जाति गुर्जर बहिस्सा बराबर सा. मुडिया खातेदार। रहन हिस्सा पूर्ण जगराम ठत्झ्ळठ शाखा नगर।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

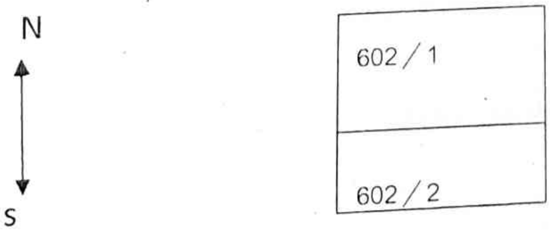

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गयी।

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)